



कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

website- <http://bilasagirlscollege.ac.in>

email- bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com

Ph No./Fax- 07752-224249

क्रमांक 690/अतिथि व्या./स्था./2022
प्रति

बिलासपुर, दिनांक 05/09 /2022

लीला प्रधान
ग्राम कुसमुण्डा, पो. बाघाडोला,
जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496440
मो.न. 8109261676

विषय- गणित

विषय :- अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में अध्यापन की अनुमति ।
संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, का पत्र क्रमांक 535/आउशि/राज.स्था./2022 अटल नगर,
दिनांक 29.08.2022 ।

—□—

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपको नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में महाविद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

1. अध्यापन हेतु 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान हेतु रुपये 300/- का मानदेय प्रदान किया जावेगा । एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड दिये जा सकते हैं एवं अधिकतम प्रतिदिन रुपये 1200/- एवं अधिकतम प्रतिमाह रुपये 31200/- (इक्तीस हजार दौ सौ मात्र) मानदेय के रूप में प्रदान किया जा सकता है ।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्यापन कार्य समाप्त होने तक/आवश्यकतानुसार रखा जायेगा ।
3. आप किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा ।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन अध्यापन करना होगा ।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक महाविद्यालयों/संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं ।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे ।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के अध्यापन की अनुमति निरस्त की जा सकती है ।
8. यह आदेश आपको माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा दिये गये आदेश के अधीन जारी किया जाता है ।
9. यह आमंत्रण छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेशों के अधीन बंधनकारी होगा ।
10. महाविद्यालय में इस विषय में रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति/पदस्थापना होने पर यह आमंत्रण तत्काल निरस्त होगा ।

आप छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आदेश जारी होने के पांच दिवस के भीतर अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देंगे। अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(डॉ. ज्योति रानी सिंह)

प्राचार्य

Govt. Bilasa Girls P. G. College
BILASAPUR (C.G.)

बिलासपुर, दिनांक

/2022

पृ. क्रमांक /अतिथि व्या./स्था./2022
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी- 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) ।
2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. संयोजक चयन समिति, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन लेखा शाखा को सूचनार्थ ।
5. कार्यालयीन प्रति- स्थापना शाखा ।

प्राचार्य
PRINCIPAL

Govt. Bilasa Girls P. G. College
BILASAPUR (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

website- <http://bilasagirlscollege.ac.in>

email- bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com

Ph No./Fax- 07752-224249

क्रमांक 840/अतिथि व्या./स्था./2021
प्रति

बिलासपुर, दिनांक 30/10/2021

लीला प्रधान
ग्राम कुसमुण्डा, पो. बाघाडोला,
जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496440
मो.न. 8109261676

विषय- गणित

विषय :- अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में अध्यापन की अनुमति।
संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18-10-2021।

--□--

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपको नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में महाविद्यालय में सत्र 2021-22 (अप्रैल 2022 तक) के लिए अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

1. अध्यापन हेतु 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान हेतु रुपये 200/- का मानदेय प्रदान किया जावेगा। एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड दिये जा सकते हैं एवं अधिकतम प्रतिदिन रुपये 800/- एवं अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- मानदेय के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्यापन कार्य समाप्त होने तक/आवश्यकतानुसार रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन अध्यापन करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक महाविद्यालयों/संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के अध्यापन की अनुमति निरस्त की जा सकती है।
8. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किया जाता है।

आप छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आदेश जारी होने के पांच दिवस के भीतर अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देंगे। अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।


प्राचार्य

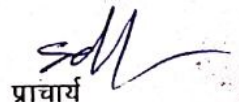
शास. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महावि.

बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 30/10/2021

पृ.क्रमांक /अतिथि व्या./स्था./2021
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लाक सी 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयोजक चयन समिति, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन लेखा शाखा को सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति- स्थापना शाखा।


प्राचार्य

शास. बिलासा कन्या स्नातको.महावि.
बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Website: <http://bilasagirlscollege.ac.in>

email: bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com

Ph No./Fax: 07752-224249

क्रमांक 954 / अतिथि व्या./स्था./2021
प्रति

बिलासपुर, दिनांक 31/3 /2021

लीला प्रधान

विषय- गणित

ग्राम कुसमुण्डा, पो. बाघाडोला,
जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496440
मो.न. 8109261676

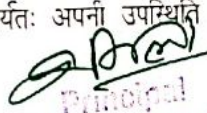
विषय :- अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में अध्यापन की अनुमति।
संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, का पत्र क्रमांक 339/निस/आजशि/2021 नया रायपुर,
दिनांक 23-02-2021।

--□--

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपको नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में महाविद्यालय में सत्र 2020-21 (मुलाई 2021 तक) के लिए अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

1. अध्यापन हेतु 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान हेतु रुपये 200/- का मानदेय प्रदान किया जावेगा। एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड दिये जा सकते हैं एवं अधिकतम प्रतिदिन रुपये 800/- एवं अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- मानदेय के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्यापन कार्य समाप्त होने तक/आवश्यकतानुसार रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन अध्यापन करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक महाविद्यालयों/संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के अध्यापन की अनुमति निरस्त की जा सकती है।
8. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक वर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

आप छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आदेश जारी होने के सात दिवस के भीतर अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देंगे। अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।


Principal
Govt. Bilasa Girls P.G. College
शास. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महावि.
बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर, दिनांक /2021

पृ.क्रमांक /अतिथि व्या./स्था./2021
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयोजक चयन समिति, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन स्थापना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

प्राचार्य
शास. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महावि.
बिलासपुर (छ.ग.)